राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 565/2022

शशिकांत जोशी पुत्र स्वर्गीय श्री सुखदेव प्रसाद, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ई-249, शास्त्री नगर विस्तार, अजमेर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, इसके मुख्य सचिव, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान।
4. राजेश कुमार राव निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर राजस्थान।
5. नोडल अधिकारी, एयरटेल, राजस्थान, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के-21 सनी हाउस, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302001, राजस्थान
6. नोडल अधिकारी, रिलायंस जियो, राजस्थान जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री स्वदीप सिंह होरा, श्री मोहित खंडेलवाल, श्री टी.सी. शर्मा, श्री विश्वास सैनी
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री अतुल शर्मा, उप.जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	:	18/05/2023
निर्णय उच्चारित करने की तिथि	:	04/07/2023

1. याचिकाकर्ता ने सचिव (गृह), राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2020, 28.12.2020 और 17.3.2021 को रद्द करने की मांग की है, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता और अन्य के मोबाइल फोनों को कथित तौर पर करने की अनुमति दी गई है।

आदेश दिनांक 28.10.2020 द्वारा सह-अभियुक्त सुनील शर्मा के मोबाइल नंबर

9829172463 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस संदेह पर इंटरसेप्ट करने का आदेश दिया गया था कि उक्त मोबाइल का उपयोग संभवतः जनता की सुरक्षा प्रभावित करने वाले अपराधों के लिए उकसाने से संबंधित अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इस अवरोधन को 60 दिनों की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी और दिनांक 28.12.2020 के आदेश द्वारा उक्त आदेश को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

इन्हीं कारणों से दिनांक 17.3.2021 के दो अलग-अलग आदेशों द्वारा याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन नंबर 9587921137 और 9950830107 को इंटरसेप्ट करने का आदेश दिया गया था।

2. चुनौती इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के मोबाइल फोन को राज्य के तंत्र द्वारा निगरानी/जासूसी पर रखकर उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है जब तक कि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप न हो। मौजूदा मामले में, ऐसे आदेश देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, संभवत: ये प्रक्रियात्मक अपेक्षा के हथियार हैं।

3. ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोबाइल कॉल इंटरसेप्शन पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 201 और 120बी के तहत की एफआईआर संख्या 20/2021 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस थाना, जयपुर में 12.4.2021 को दर्ज की गई थी। मामले की जांच के बाद आरोप पत्र संख्या 140/2021 दिनांक 4.5.2021 पहले ही दाखिल किया जा चुका है। एफआईआर में बताई गई कॉल डिटेल्स को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी लोक सेवक को रिश्वत देने में शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, बल्कि कथित ट्रैप कार्यवाही में याचिकाकर्ता सहित किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से रिश्वत की कोई रकम बरामद नहीं हुई।

4. पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पहले, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के प्रावधानों और सचिव (गृह) द्वारा पारित आदेशों की प्रकृति पर गौर करना उचित होगा:

> "धारा 5(2) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किसी

अधिकारी के संतुष्ट होने पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कि **ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि वह लिखित रूप में,** आदेश द्वारा, निर्देशित कर सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनके द्वारा कोई भी संदेश या संदेशों का वर्ग, या किसी विशेष विषय से संबंधित संदेश, जो किसी टेलीग्राफ द्वारा प्रसारण के लिए लाया गया या प्रसारित या प्राप्त किया गया हो, प्रसारित नहीं किया जाएगा, या इंटरसेप्ट किया जाएगा या निरुद्ध किया जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में उल्लिखित उसके किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा:

[परंतु यह कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट या निरुद्ध नहीं लिया जाएगा, जब तक कि इस उप-धारा के तहत उनके प्रसारण को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।]

4(क) दिनांक 28.10.2020 का आदेश परिशिष्ट-3 पर है, जो इस प्रकार है:

"राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग

2(1)गृह-9/2019
दिनांक: 28.10.2020

<u>आदेश</u>

1. जबकि यह महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल/एलएल/आईएमईआई नंबर 98291-72463 का उपयोग संभवतः सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी **अपराध को उकसाने से संबंधित अवैध गतिविधियों** के लिए किया जा रहा है और ऐसी स्थिति को रोकने के लिए उपरोक्त उल्लिखित मोबाइल नंबर को **60** दिनों की अवधि के लिए निगरानी में रखना आवश्यक और समीचीन है।

2. अब, मैं, **सचिव, गृह, राजस्थान** इस बात से संतुष्ट हूं कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में और किसी अपराध को कारित करने के लिए उकसावे को रोकने के लिए, उपरोक्त मोबाइल/एलएल/आईएमईआई नंबर **98291-72463** को निगरानी रखना आवश्यक और समीचीन है और मैं निर्देश देता हूं कि संचारण के लिए लाए गए या प्रसारित किए गए टेलीफोन नंबर को आने वाले और उससे जाने वाले किसी गुप्त संपर्क/संचलन/गतिविधि आदि से संबंधित किसी भी टेलीफोन संदेश को **महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर** द्वारा सूचित किए गए अनुसार इंटरसेप्ट किया जाएगा और अधिकारी को प्रकट किया जाएगा।

3. मैं इस बात से भी संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त टेलीफोन की निगरानी करना आवश्यक है क्योंकि ऐसी जानकारी किसी अन्य उचित माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है।

4. यह आदेश प्रेक्षण शुरू होने की तारीख से ***60*** दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता या अधोहस्ताक्षरी के बाद के आदेश द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाता है और इंटरसेप्ट किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 की उपधारा (2) और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के अधीन होगा।

5. गृह विभाग के परिपत्र संख्या एफ.22(2)होम-9/87 भाग दिनांक 09/06/2016 में निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का अवरोधित जानकारी/संदेश/संचार की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से पालन किया जाएगा।

ह./-
(एन.एल. मीना)
सचिव, गृह

प्रतिलिपि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को **आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

4(ख) दिनांक 28.12.2020 के आदेश के परिशिष्ट 7 इस प्रकार है:

"महानिदेशक का कार्यालय

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

सं.एसीबी/डीजी/20/363

दिनांक: **28.12.2020**

नोडल अधिकारी
एयरटेल
राजस्थान, जयपुर

विषय:-संदिग्ध मोबाइल नंबर 98291-72463 की निगरानी।

महोदय,

कृपया इसके साथ संलग्न सचिव, गृह विभाग का आदेश संख्या **एफ.22(1) गृह-9/2019 जयपुर** दिनांक **28.12.2020** देखें जिसमें मोबाइल नंबर **98291-72463** को निगरानी के लिए रखा जाना अधिकृत किया गया है।

अनुरोध है कि संदिग्ध और मोबाइल नंबर **98291-72463** को **60** दिनों की अवधि के लिए निगरानी में रखा जाए और निर्देश दिया जाए कि रोमिंग के दौरान होम सर्कल के साथ-साथ पैन इंडिया सर्कल की वॉयस, वीडियो, जीपीआरएस और डेटा कॉल तथा औरकॉल से संबंधित डेटा अधोहस्ताक्षरी को प्रदान किए जाएं। उपर्युक्त नंबर पर प्राप्त/किए गए कॉल को अवरोधन के लिए (1) 0141-2712234 (2) 94135-02710 नंबर पर डायवर्ट करने के लिए कृपया निर्देश जारी किया जाए।

संलग्नक-1

भवदीय
(भगवान लाल सोनी)
महानिदेशक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान जयपुर

4(ग) दिनांक 17.3.2021 का आदेश जो परिशिष्ट-9 पर रखा है, इस प्रकार है:

"राजस्थान सरकार गृह

(ग्रुप-9) विभाग

22(1) गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक: **17.03.2021**

<u>आदेश</u>

1. जबकि यह महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल/एलएल/आईएमईआई नंबर **99508-30107** का उपयोग संभवतः किसी **अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से संबंधित** अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। **सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली** स्थिति को रोकने के लिए उपर्युक्त मोबाइल नंबर को 60 दिनों की अवधि के लिए निगरानी में रखना आवश्यक और समीचीन है।

2. इसलिए, **मैं, सचिव गृह, राजस्थान,** इस बात से संतुष्ट हूं कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में और किसी अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए उपरोक्त मोबाइल/एलएल/आईएमईआई नंबर **99508-30107** को निगरानी में रखना आवश्यक और समीचीन है और मैं, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि इस टेलीफोन नंबर से संचारण के लिए लाए गए या प्रेषित किए गए गुप्त संपर्क/संचलन/गतिविधि आदि से संबंधित किसी भी टेलीफोन संदेश को इंटरसेप्ट किया जाएगा और अधिकारी को सूचित किया जाएगा जैसा कि **महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर** द्वारा सूचित किया गया है। ।

3. मैं इस बात से भी संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त टेलीफोन की निगरानी करना आवश्यक है क्योंकि ऐसी जानकारी किसी अन्य उचित माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है।

4. यह आदेश प्रेक्षण शुरू होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है या अधोहस्ताक्षरी के बाद के आदेश द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाता है और इंटरसेप्ट किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 की उपधारा (2) और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के अधीन होगा।

5. गृह विभाग के परिपत्र संख्या एफ22/2) गृह-9/87 भाग दिनांक 09/06/2016 में निर्धारित शर्तों और अपेक्षाओं का अवरोधित सूचना/संदेश/संचार की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से पालन किया जाएगा।

ह./-
(एन.एल. मीना)
सचिव, गृह

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. होरा का तर्क है कि **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूएलसी) बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 1 एससीसी 301,** में रिपोर्ट किया गया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के उपरोक्त प्रावधानों पर विचार किया और माना कि "सार्वजनिक आपातकाल" या "सार्वजनिक सुरक्षा के हित" की स्थितियां/परिस्थितियां गुप्त स्थितियाँ नहीं हैं। किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए ये परिस्थितियाँ स्पष्ट होंगी। मौजूदा मामले में, कोई भी आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ थीं जिन्होंने प्राधिकारी को यह रिकॉर्ड करने के लिए विवश किया कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसे आदेश की आवश्यकता है। केवल "सार्वजनिक सुरक्षा शामिल" का बयान मात्र दे देना कानून के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा, प्राधिकरण को कॉल विवरण को इंटरसेप्शन की अनुमति देने से पहले लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कानून के आदेश के शब्दशः अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पर्याप्त अनुपालन पहले ही किया जा चुका है, तो इसे कानून के आदेश के अनुपालन के रूप में लिया जाएगा। अधिकारियों ने अनुमति के लिए सचिव (गृह) के समक्ष लिखित अनुरोध रखा है, जिसमें कहा गया है कि संदर्भित मोबाइल के उपयोगकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का संदेह है।

7. विवादित आदेशों का सरसरी तौर पर अवलोकन मात्र ही इतना संकेत देता है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति का खुलासा नहीं किया गया है जो इस उद्देश्यपूर्ण संतुष्टि को व्यक्त करती हो कि विवादित आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। ऐसी सामग्री के प्रकटीकरण के अभाव में, कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि वास्तव में, यह "सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" मामला था। इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार कोई भी कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

8. पीयूसीएल (सुप्रा.) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को इस प्रकार वर्णित

किया:

"28. अधिनियम की धारा 5(2) उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार संदेशों के अवरोधन की अनुमति देती है। अधिनियम की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए "कोई भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना" या "सार्वजनिक सुरक्षा का हित" अनिवार्य शर्त है। जब तक कोई सार्वजनिक आपात स्थिति उत्पन्न न हो या सार्वजनिक सुरक्षा की मांग न हो, अधिकारियों के पास उक्त धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अधिकारक्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक आपातकाल का अर्थ होगा अचानक किसी ऐसी स्थिति या परिस्थिति का उत्पन्न होना जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हों और जो तत्काल कार्रवाई की मांग करे। अभिव्यक्ति "सार्वजनिक सुरक्षा" का अर्थ बड़े पैमाने पर लोगों के लिए खतरे या जोखिम से मुक्ति की स्थिति या परिस्थिति है। जब इन दोनों स्थितियों में से कोई भी अस्तित्व में नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी टेलीफोन टैपिंग का सहारा नहीं ले सकते, भले ही इस बात की संतुष्टि हो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, आदि के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। दूसरे शब्दों में, भले ही केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा या संप्रभु राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध को अंजाम देनेवाले उकसावे को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह संदेशों को इंटरसेप्ट नहीं सकती है या टेलीफोन टैपिंग का सहारा नहीं ले सकती है जब तक कि कोई सार्वजनिक आपात स्थिति उत्पन्न न हो या सार्वजनिक सुरक्षा के हित या सार्वजनिक सुरक्षा के हित के अस्तित्व की ऐसी अपेक्षा न हो। न तो सार्वजनिक आपातकाल की घटना और न ही सार्वजनिक सुरक्षा का हित गुप्त स्थितियाँ या परिस्थितियाँ हैं। इनमें से कोई भी स्थिति किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए स्पष्ट होगी।

29. इसलिए, अधिनियम की धारा 5(2) के तहत पहला कदम सार्वजनिक-सुरक्षा हित के अस्तित्व के लिए कोई भी सार्वजनिक आपात स्थिति की घटना है। इसके बाद अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद अवरोधन का आदेश पारित करने का अधिकार है कि ऐसा करना (i) भारत की संप्रभुता और अखंडता, (ii) राज्य की सुरक्षा (iii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (iv) सार्वजनिक व्यवस्था या (v) किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में आवश्यक या समीचीन है। जब सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए ऊपर उल्लिखित पांच स्थितियों में से किसी एक की आवश्यकता होती है तो उक्त प्राधिकारी ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके संदेशों को अवरोधित करने का आदेश पारित कर सकता है।

30. अधिनियम की धारा 5(2) के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि जहां तक संदेशों/बातचीत को अवरोधित करने की शक्ति का संबंध है, धारा स्पष्ट रूप से उन स्थितियों/शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत

इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अधिनियम की धारा 5(2) में निर्धारित मूल कानून को प्रक्रियात्मक समर्थन होना चाहिए ताकि शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और उचित हो। उक्त प्रक्रिया स्वयं न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि "अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या यहां तक कि अस्वीकार करने के तौर-तरीकों से संबंधित प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण नहीं, य्ह सावधानीपूर्वक तैयार की गई होनी चाहिए ताकि इसे लागू किया जा सके, परंतु मूल अधिकार को ही नष्ट करने के लिए नहीं।" इस प्रकार, समझा जाता है, "प्रक्रिया" में कोई भी मनमानी, अजीब या विचित्र चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। किसी मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को केवल सभ्य प्रक्रियाओं द्वारा ही प्रसारित किया जा सकता है।"

9. यह प्रस्ताव कि फोन वार्तालाप की अवैध टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम. भारत संघ, **(2017) 10 एससीसी** 1, मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ के.एस पुट्टस्वामी मामले में पीयूसीएल (सुप्रा.) में लिए गए इस दृष्टिकोण में पुष्टि की गई थी।

> "... टेलीफ़ोन वार्तालापों को गोपनीयता का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया था और ऐसी बातचीतों के दोहन को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता था, जब तक कि `कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा अनुमति न दी गई हो।

10. पीयूसीएल (सुप्रा.) में कुछ निर्देशों के अनुसरण में निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रक्रिया सुरक्षा उपाय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नियमों में उपयुक्त संशोधन किया गया था। तदनुसार, भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 में टेलीग्राफ संशोधन नियम, 2007 द्वारा नियम 419क अधिनियमित किया गया था जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी। जाहिर तौर पर, आक्षेपित आदेशों से पता चलता है कि संबंधित प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष के लिए सामग्री का खुलासा नहीं किया है कि ऐसे आदेश पारित करना सार्वजनिक सुरक्षा के हित में था। अधिकारी उपरोक्त धारा 5 की उप-धारा (2) की आवश्यकता के अनुरूप किसी भी कारण को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित आदेश मनमानी से ग्रस्त हैं और याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी अधिकारियों ने नियम 419क सुप्रा के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अपेक्षाओं का पूरी तरह से उल्लंघन

किया है; श्री एन.एल. मीना, सचिव (गृह) अधिनियम के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव, गृह सक्षम प्राधिकारी थे। दरअसल, श्री एन.एल.मीणा और दो अन्य सचिव प्रमुख सचिव, गृह के अधीन कार्य कर रहे थे। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त नियमों के अनुसार, आदेश को उसकी मंजूरी के लिए विधिवत रूप से गठित समीक्षा समिति को प्रेषित किया जाना चाहिए था जो इस मामले में नहीं किया गया है। यह प्रत्यर्थीगण के लिए ऐसा मामला नहीं है कि उन्होंने उक्त नियमों में उल्लिखित अपरिहार्य परिस्थिति में निलंबन खंड लागू करने का विकल्प चुना था।

12. भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम, 2007 के नियम 419क का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "419-क. (1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (बाद में उक्त (अधिनियम) के रूप में संदर्भित) की धारा 5 की उपधारा (2) के तहत किसी भी संदेश या संदेशों के वर्ग को इंटरसेप्ट के लिए निर्देश के मामले में भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव और राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा दिए गए आदेश के अलावा कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं का नहीं होगा, जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है:
>
> बशर्ते कि आकस्मिक मामलों में-
>
> (i) दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां संदेशों या संदेशों के वर्ग को इंटरसेप्ट करने के लिए पूर्व दिशा-निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है; या
>
> (ii) परिचालन कारणों से, जहां संदेश या संदेशों के वर्ग को इंटरसेप्ट करने के लिए पूर्व दिशा-निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है;
>
> किसी भी संदेश या संदेशों के वर्ग का आवश्यक अवरोधन प्रमुख या अधिकृत सुरक्षा के दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी यानी केंद्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसी और इस संबंध में अधिकृत अधिकारियों की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा, जो स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे के रैंक के नहीं होंगे, लेकिन संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवरोधनों के बारे में तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा और सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अवरोधों की पुष्टि की जाएगी। यदि निर्धारित सात दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसा अवरोधन बंद हो जाएगा और उसके बाद केंद्रीय गृह सचिव या राज्य गृह

सचिव, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति के बिना उसी संदेश या संदेशों के वर्ग को अवरोधित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश में ऐसे निर्देश के कारण शामिल होंगे और ऐसे आदेश की एक प्रति सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संबंधित समीक्षा समिति को भेज दी जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के तहत निर्देश जारी करते समय अधिकारी अन्य माध्यमों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगा और उप-नियम (1) के तहत निर्देश केवल तभी जारी किए जाएंगे जब किसी अन्य उचित साधन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना संभव न हो।

(16) केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, एक समीक्षा समिति का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) कैबिनेट सचिव
- अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार के विधि मामलों के प्रभारी सचिव — सदस्य

(ग) सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग - सदस्य

राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) मुख्य सचिव
- अध्यक्ष

(ख) सचिव विधि/लीगल रिमेंब्रेंस प्रभारी, विधि मामले - सदस्य

(ग) राज्य सरकार के सचिव (गृह सचिव के अलावा) - सदस्य

(17) समीक्षा समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपने निष्कर्ष दर्ज करेगी कि क्या उप-नियम (1) के तहत जारी निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार हैं। जब समीक्षा समिति की राय है कि निर्देश ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं तो वह इंटरसेप्ट किए गए संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने के निर्देशों और आदेशों को रद्द कर सकती है।"

13. नियम (1) के अनुसार, केवल गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव ही आपेक्षित आदेश पारित करने में सक्षम थे। याचिकाकर्ता ने शपथ पर कहा है कि प्रासंगिक समय पर, श्री अभय कुमार गृह विभाग के प्रभारी सचिव थे और श्री एन.एल. मीना, जिन्होंने विवादित आदेश पारित किया था, सहित अन्य सचिव गृह विभाग के प्रभारी नहीं थे, इसलिए वे विवादित आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थे। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता

ने दिनांक 10.1.2019 के आदेश पर भरोसा किया है जिसके तहत गृह विभाग का काम विभिन्न अधिकारियों को आवंटित किया गया था। यहां तक कि उस आदेश में, उसमें शामिल कार्य की प्रकृति गृह सचिव को सौंपी गई थी। इसके अलावा, कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए, आक्षेपित आदेश पारित करने वाला एकमात्र सक्षम व्यक्ति राज्य के गृह विभाग का प्रभारी था, जिसे प्रमुख सचिव, गृह के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, किसी अक्षम व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के कारण आपेक्षित आदेश बने रहने योग्य नहीं हैं।

14. मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में आधार नजर आया कि आपेक्षित आदेश कभी भी समीक्षा समिति को नहीं भेजे गए, जिन्हें वैधानिक अवधि के भीतर भेजा जाना चाहिए था और समीक्षा समिति से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विवादित आदेशों की वैधता पर निर्णय लेगी। वैधानिक प्रावधान किसी उद्देश्य के लिए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। उक्त प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए था लेकिन इसका पालन ही नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि विवादित आदेश समीक्षा समिति को नहीं भेजे गए थे और न ही कोई सामग्री यह सुझाती है कि विवादित आदेश समीक्षा समिति को भेजे गए थे।

15. आक्षेपित आदेशों में कोई कारण विद्यमान नहीं है जबकि वैधानिक प्रावधानों के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित ने प्राधिकरण को आक्षेपित आदेशों को पारित करने के लिए राजी किया गया है।

16. नियम 419क (सुप्रा.) के उप-नियम (3) के लिए आवश्यक है कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत कोई भी आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगा और उप-नियम (1) के तहत निर्देश केवल तभी जारी किया जाएगा जब किसी अन्य उचित माध्यम से जानकारी प्राप्त करना संभव न हो। प्रावधान इतने स्पष्ट हैं कि प्राधिकारी आक्षेपित आदेशों में यह खुलासा करने के लिए बाध्य है कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों का सहारा लिया गया था, लेकिन ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका। मौजूदा मामले में, केवल एक ही बयान दर्ज किया गया है कि किसी अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः इस मामले में उपनियम (3) के वैधानिक प्रावधानों का भी अनुपालन

नहीं किया गया है।

17. जब क़ानून निजता के अधिकारों के मनमाने उल्लंघन को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, तो इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अधिकार का उल्लंघन करने के लिए राज्य या उसके तंत्र द्वारा आवश्यक जनादेशों को नजरअंदाज या उनका अधिक्रमण नहीं किया जा सकता था। यदि पीयूसीएल मामले (सुप्रा.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, जिन्हें पुट्टस्वामी मामले (सुप्रा.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुदृढ़ और अनुमोदित किया गया है, के साथ-साथ अधिनियमों और नियमों के आदेशों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है, तो संदेशों के अवैध अवरोधन को प्रभावित करने से अवमानना और मनमानी को बढ़ावा मिलेगा।

18. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने **संतोष कुमार बनाम माननीय भारत संघ एवं अन्य, रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 1147/2020** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। संतोष कुमार (सुप्रा.) का मामला अलग है क्योंकि उस मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए गए थे और आदेश समीक्षा समिति को भेजे गए थे, जबकि वर्तमान मामला उपरोक्त दोनों ही दृष्टि से प्रावधानों का गैर-अनुपालन किया गया है।

19. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, यह स्पष्ट होता है कि लागू आदेश स्पष्ट रूप से मनमानी से ग्रस्त हैं और यदि इसे बरकरार रखा गया तो ऐसा करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन की अनुमति देना होगा। इसलिए, यहां चुनौती दिए गए और ऊपर संदर्भित सभी तीन अवरोधन आदेश रद्द किए जाते हैं। प्रत्यर्थी अधिकारियों को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों/रिकॉर्डिंग और उसकी प्रतियों को नष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे संदेशों पर लंबित आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता रिट याचिका में मांगी गई अन्य राहतों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चों पर कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।